

**THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI**

**PERSONNEL DIVISION**

**(I.R. GROUP)**

\*\*\*\*\*

January 10<sup>th</sup>, 2018

**CIRCULAR NO: IR/02/2018**

**SUB: PAYMENT OF IDA TO THE BOARD LEVEL/BELOW BOARD LEVEL EXECUTIVES  
AND STAFF CADRES FOR THE QUARTER JANUARY, 2018 TO MARCH, 2018.**

Consequent upon revision of Pay Scales of Board Level/below Board Level Executives and Staff Cadres w.e.f. 01.01.2007, the link point of All India Consumer Price Index (AICPI) (Base 2001-100) is 126.33 points. Quarterly average of AICPI for the months from September, 2017 to November, 2017, which determines the IDA for the quarter, January, 2018 to March, 2018 stands at 286.67 points as against 283.33 points in the previous quarter. After 100% neutralization, the IDA for the quarter January, 2018 to March, 2018 will be payable @126.9% instead of 124.3% w.e.f 01.01.2018.

*R. Ganesh*  
10-1-18  
(R Ganesh)

Joint General Manager

**By E-mail:**

- Exe. Secy. to CMD
- Exe. Secys. to Director/CVO
- All CGMs/GMs
- Divisional Heads, CO
- All Branch Managers

**Copy to**

- CM(F)(A&E), CO
- Notice Board
- Website

दि स्टेट टेडिंग कापरिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:नई दिल्ली

कार्मिक प्रभाग

(औद्योगिक संबंध समूह)

10 जनवरी, 2018

परिपत्र सं0. औ.सं./02/2018

विषय: बोर्ड स्तर/बोर्ड स्तर के नीचे के प्रबंधकों एवं स्टॉफ संवर्ग के लिए जनवरी, 2018 से मार्च, 2018 की तिमाही के लिए औद्योगिक मंहगाई भत्ते का भुगतान।

बोर्ड स्तर/बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारियों एवं स्टॉफ संवर्ग के वेतनमानों में 1.1.2007 से संशोधन के फलस्वरूप अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) (बेस 2001=100) का लिंक 126.33 पाइन्ट है। सितम्बर, 2017 से नवम्बर, 2017 के महीनों के लिए एआईसीपीआई का तिमाही औसत जो जनवरी, 2018 से मार्च, 2018 की तिमाही के लिए औद्योगिक मंहगाई भत्ता निर्दिष्ट करता है, जो पिछली तिमाही के 283.33 पाइन्ट्स की बजाय 286.67 पाइन्ट्स है। 100% विलय (न्यूट्रलाइजेशन) के पश्चात जनवरी, 2018 से मार्च, 2018 की तिमाही के लिए औद्योगिक मंहगाई भत्ता 01.01.2018 से 124.3% की बजाय 126.9% की दर से देय होगा।

आर गणेश  
(आर.गणेश) 10-1-18

संयुक्त महाप्रबंधक

इ-नेत के द्वारा

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
  - निदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
  - सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
  - सभी शाखा प्रबंधक
  - मुख्यालय के प्रभागाध्यक्ष
- प्रतिलिपि :
- मुख्यालय के मुख्य प्रबंधक(वित्त)-(लेखा एवं स्थापना)
  - नोटिस बोर्ड
  - वेबसाइट